रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 998] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940
No. 998] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/ PHALGUNA 14, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2019

का.आ.1132(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 994(अ), तारीख 04.05.2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के 0.000 कि.मी. से 452.800 कि.मी. (शोलापुर-येडेशी-औरंगाबाद-धुले सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग 211 पर 100.000 कि.मी. से 290.200 कि.मी. तक येडेशी-औरंगाबाद सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त सेक्शन" कहा गया है) रागविप चरण-IVबी के अंतर्गत उक्त सेक्शन को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीऑएफटी) टोल आधार पर 4 लेन बनाने हेतु 19.03.2014 को प्रस्तुत बोली के आधार पर मैसर्स येडेशी-औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया गया है), के साथ 30.05.2014 को करार (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त करार" कहा गया है) किया है।

और यतः, केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियम, 2011 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर उक्त खंड के चार और अधिक के लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सड़क की निवल लंबाई 160.613 कि.मी. के उपयोग हेतु सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 28.410 कि.मी. है के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 के स्तम्भ (1)

में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार के अनुसार, समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, ऐसे प्रत्येक शुल्क प्लाजा(प्लाज़ाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा;

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	शुल्क की दर
133.400 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 134.000 कि.मी.)(उस्मानाबाद जिले में पारगांव गाँव के पास)	47.200 (चौसला बाइपास की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
194.720 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 194.000 कि.मी.)(बीड जिले में पदलसिंगी गाँव के पास)	56.499 (बीड़ बाइपास की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
254.550 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 254.550 कि.मी.)(जालना जिले में मालिवाड़ी गाँव के पास)	56.914 (गियोराई बाइपास और पछोड बाइपास की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा(प्लाजाओं) पर बाइपास(बाइपासों) की लंबाई हेतु ऊपर सारिणी -1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुणा की दर पर ऐसे टोल प्लाज़ा (प्लाजाओं) के लिए निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिसके लिए शुल्क संदेय है
133.400 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 134.000 कि.मी.)(उस्मानाबाद जिले में पारगांव गाँव के पास)	रारा-211 के चौसला बाइपास पर 140.300 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) से आरंभ होकर विद्यमान चैनेज 140.900 किमी) और 145.100 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 145.850 कि.मी.) पर मिलते हुए।	4.800	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %

194.720 किमी (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 194.000 कि.मी.)(बीड जिले में पदलसिंगी गाँव के पास)	रारा-211 के बीड बाइपास पर 172.590 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) से आरंभ होकर विद्यमान चैनेज 172.950 किमी) और 185.300 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 183.040 कि.मी.) पर मिलते हुए।	12.501	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
254.550 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 254.550 कि.मी.)(जालना जिले मे मालिवाड़ी गाँव के पास)	रारा-211 के गियोराई बाइपास पर 206.420 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) से आरंभ होकर विद्यमान चैनेज 205.715 किमी) और 212.600 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 211.418 कि.मी.) पर मिलते हुए।	6.169	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
254.550 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 254.550 कि.मी.)(जालना जिले में मालिवाड़ी गाँव के पास)	रारा-211 के पछोड़ बाइपास पर 246.160 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) से आरंभ होकर विद्यमान चैनेज 249.000 किमी) और 251.100 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 253.960 कि.मी.) पर मिलते हुए।	4.940	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रुपए (दो सौ पचपन रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा। उसे वाहनों के लिए अगली उच्च श्रेणी हेतु लागू दरों के अनुसार शुल्क देना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारिणी-1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क पहले किए गए संशोधन की तारीख से 6 माह की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[सं. भाराराप्रा/13013/760/सीओ/13-14/जीसी शोलापुर–येदेशी सेक्शन–बीओटी]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 5th March, 2019

S.O. 1132 (E).—Whereas by notification issued by the Government of India, the Ministry of Road Transport and Highways vide number S.O. 994 (E), dated 04.05.2011, under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 452.800 (Solapur – Yedeshi-Aurangabad-Dhule Section) of National Highway No. 211 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 30.05.2014 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Yedeshi Aurangabad Tollway Private Limited having its registered office at IRB Complex, Chandivli Farm, Chandivli Village, Andheri(East), Mumbai -400072 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 19.03.2014 for the development of Yedeshi - Aurangabad Section from km 100.000 to km 290.200 on National Highway No. 211 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning and operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-IVB on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 160.613 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 28.410 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement:

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 133.400 (design chainage) (existing chainage km. 134.000) (near Pargaon village in Osmanabad district)	47.200 (excluding length of Chausala Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 194.720 (design chainage) (existing chainage km. 194.000) (near Padalsingi village in Beed district)	56.499 (excluding length of Beed Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 254.550 (design chainage) (existing chainage km. 254.550) (near Maliwadi village in Jalna district)	56.914 (excluding Georai Bypass and Pachod Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 133.400 (design chainage) (existing chainage km. 134.000) (near Pargaon village in Osmanabad district)	Chausala Bypass taking off at km. 140.300 (design chainage) (existing chainage km. 140.900) and joining at km. 145.100 (design chainage) (existing chainage km. 145.850) of NH-211	4.800	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 194.720 (design chainage) (existing chainage km. 194.000) (near Padalsingi village in Beed district)	Beed Bypass taking off at km. 172.590 (design chainage) (existing chainage km. 172.950) and joining at km. 185.300 (design chainage) (existing chainage km. 183.040) of NH-211	12.501	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 254.550 (design chainage) (existing chainage km. 254.550) (near Maliwadi village in Jalna district)	Georai Bypass taking off at km. 206.420 (design chainage) (existing chainage km. 205.715) and joining at km. 212.600 (design chainage) (existing chainage km. 211.418) of NH-211	6.169	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 254.550 (design chainage) (existing chainage km. 254.550) (near Maliwadi village in Jalna district)	Pachod Bypass taking off at km. 246.160 (design chainage) (existing chainage km. 249.000) and joining at km. 251.100 (design chainage) (existing chainage km. 253.960) of NH-211	4.940	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty Five Five only) for the year 2018-19 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[No. NHAI/13013/760/CO/13-14/GC/Solapur- Yedeshi Section – BOT]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.05 23:09:23 +05'30'